

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहपुरा

खाता

बनाम मि. देवी

रजम मुकदमा

रूपील खाता 75

प्रकरण सं.

15

सन 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

23 ⁰²/₂₆

पत्रावली फेर ई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 02, 04 जा. डी. पेय कीया गया। P.O. सा. बाहर पत्रो है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 02, 04 जा. डी. पर बहस हेतु दिनांक 09-03-25 को पेय आज्ञासे

श्री
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
शाहपुरा

9 ³/₂₆

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। P.O. साहब अवकाश पर है, पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 02, 04 जा. डी. पर बहस हेतु दिनांक 6/4/26 को पेश हो।

आज्ञा से
श्री
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
शाहपुरा

6 ⁴/₂₆

पत्रावली फेर है। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। 02 R 02, 04 की बहस हेतु अवकाश चाहे ही न्यायाधीश से अवकाश उपजाता है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र 02 R 02, 04 की बहस हेतु दिनांक 27.4.26 को पेश है।

अति. जिला कलेक्टर
शाहपुरा

27 ⁴/₂₆

पत्रावली पेय है। अधिवक्ता मय अपीलान्त उपस्थित। जिनके द्वारा बलाया की प्रकाश में पीपराजीनामा हो रही जामा हो जाने से प्रकल में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

जामा हो
कार्यवाही नहीं
जाहता है

अतः अपीलान्त द्वारा प्रकल में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं अपीलान्त ही अपील खतीव की जाती है। पत्रावली फेरल शुभल होकर प्रकल के कल देकर इतरल हासिल है।

निर्णय ही उपलब्ध हुआ गया श्री

अति. जिला कलेक्टर
शाहपुरा

Sharma
श्री